निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1932 (शo)

(सं0 पटना 754) पटना, वृहस्पतिवार, 18 नवम्बर 2010

गृह विभाग

———————

अधिसूचना

4 नवम्बर 2010

सं0 ए0/विविध (53)–43/2010–12474—माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई 2010 को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समुचित अनुश्रवण पद्धति गठन करने पर बल दिया गया था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 18015/110/2010–एन०एम०–IV, दिनांक 03 सितम्बर 2010 द्वारा दिए गये दिशा निदेश के आलोक में बिहार राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत विकासात्मक कार्यक्रम की राज्य स्तरीय अनुश्रवण के निमित्त मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में निम्नांकित रूप से एक उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है :–

1.	मुख्य सचिव, बिहार, पटना –	अध्यक्ष।
2.	विकास आयुक्त, बिहार, पटना –	नोडल पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव।
3.	कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख विभागों के प्रधान सचिव/सचिव।	सदस्य (फ्लैगशीप योजना से संबंधित विभाग यथाः–योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/मानव संसाधन विभाग/समाज

		कल्याण विभाग/उर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/अनुसुचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं पर्यावरण एवं वन विभाग)।
4.	योजना आयोग के प्रतिनिधि –	सदस्य।
5.	गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि –	सदस्य।

इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के निमित्त किसी अन्य पदाधिकारी को समिति के नियुक्त सदस्यों के मत से सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं।

राज्य सरकार द्वारा किसी दो गैर–सरकारी सदस्यों, जिन्हें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम चलाने का अनुभव प्राप्त हो, का मनोनयन विधान–सभा निर्वाचन, 2010 की समाप्ति एवं नई सरकार के गठन के बाद किया जायेगा।

2. उक्त उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यक्रमों की प्रगति की सावधिक समीक्षा करेगी।

3. साथ ही उक्त समिति द्वारा यदि आवश्यकता समझी गई तो सदस्य सचिव, योजना आयोग के सशक्त पदाधिकारियों के समूह के समक्ष केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश/सिद्धान्त में बदलाव का सुझाव दे सकेगी।

4. यह तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कमल नारायण सिंह,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 754-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in